

Chhattisgarh State Legal Services Authority old High Court Building, Bilaspur
(Constituted Under the Legal Services Authority Act, 1987)
E-mail- cgslsa.cg@nic.in, cgslsa@gmail.com
(07752) 410210, 222405, 222406, Toll Free No. 18002332528

क्रमांक 1487/SLSA/2020

बिलासपुर, दिनांक 17.09.2020

प्रति,

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
.....समस्त (छ.ग.)

विषय :- विधि विश्वविद्यालयों को वर्णित विषयों पर वीडियो एवं पी.पी.टी. बनाये जाने के संबंध में तथा तीन सर्वोत्तम वीडियो एवं पी.पी.टी. को “Letter of Appriciation” दिए जाने बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा छ.ग.राज्य के समस्त विधि विश्वविद्यालयों के मध्य 03 विषयों (1) Domestic violence Act HamarAagna scheme and law related to Ragging (2) Cyber Crimes, pornography, Spamming, and sec 66A Information technology act in light of judgment of Honble SC (3) नालसा द्वारा तैयार योजना “Early Access to Justice at Pre-Arrest, Arrest and Remand Stage” पर एक प्रतियोगिता कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित विषयों पर प्रत्येक विश्वविद्यालय के द्वारा एक-एक वीडियो (जिसमें एक प्रवक्ता सिर्फ विधिक संदेश बोलते हुये दिखेगा) एवं पी.पी.टी. तैयार कर दिनांक 03.10.2020 तक इस प्राधिकरण की ओर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है। पी.पी.टी., पी.डी.एफ. फार्म तथा वीडियो फार्म में भेजी जाएं। सर्वोत्तम तीन वीडियो एवं पी.पी.टी. को छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा “Letter of Appriciation” जारी किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त समस्त विधि विश्वविद्यालयों को इस प्राधिकरण के YouTube Channel- “Jan Chetna - CGSLSA” , एवं “ SFLA CGSLSA” तथा मोबाईल एप NYAY (CGSLSA) को भी Download/Subscribe किए जाने का अनुरोध किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

(सिद्धार्थ अग्रवाल)
सदस्य सचिव